न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 66/2025 GCMS NO 2025/108

हरिकिशन पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी रोडकलां तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

रूप सिह पुत्र रामजीलाल गुर्जर (मृतक) जरिये विधिक वारिसान:–

1. संतरा देवी बेवा रूप सिह
2. राजीव पुत्र रूपसिह
3. संजीव पुत्र रूप सिह
4. कमलेश पुत्री रूप सिह
5. मित्तल पुत्री रूप सिह
6. रीना पुत्री रूप सिह सभी जातियान गुर्जर निवासीयान रोडकलां तहसील व जिला करौली
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/18 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री ऐश्वर्य सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री नेमी चंद गर्ग

दिनांक 28.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रका से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थाइ निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 4 व 11 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम आडीहूडपुरा पटवार हल्का सैंगरपुरा तहसील व जिला करौली मे स्थित भूमि है। जिसके वादी का 1/2 हिस्सा वा वादी के पिता रामजीलाल का 1/2 हिस्सा है। इस सम्पूर्ण जमीन को वादी ही काश्त करता है। वादी के पिता रामजीलाल के स्वर्गवास होने से वादी ही उसका एक मात्र व्रारिस उत्तराधिकारी है। उक्त जमीन पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबध वास्ता कभी नही रहा है ना ही अब है। प्रतिवादी न0 1 फर्जी तरीके से वादी के पिता रामजीलाल का पुत्र बनकर उक्त आराजी मे जबरदस्ती से वादी के पिता रामजीलाल का पुत्र बनना चाहता है और राजस्व रिकार्ड मे रामजीलाल के [illegible] अपना नाम दर्ज कराने पर उतारू है। जबकि हरिकिशन गंगदेव का पुत्र है। सभी सरकारी द[illegible] दर्ज है। प्रतिवादी उक्त जमीन को हडपने के लिए गंगदेव के स्थान पर रामजीलाल [illegible] पर उतारू है। जिसके खिलाफ वादी ने एफ आई आर दर्ज करा दी उक्त [illegible] हिस्सा नही है। प्रतिवादी न0 1 ने ऐलानिया धमकी दी गई कि [illegible] नाम रामजीलाल [illegible] मे दर्ज करवाउगा और तुझको कब्जे काश्त से बेदखल करूगा त[illegible] उक्त जमीन को विक्र[illegible]। प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी को नाजायज रूप से परेशान कर [illegible] है झगडा फसाद करता है तथा वादी के पिता रामजीलाल की जमीन मे अपना नाम रेवेन्यू कर्मचारियो से मिलकर कराने पर उतारू है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिकी किया जाकर आराजी ख0न0 4 व 11 वाके ग्राम आडीहूडपुरा मे वादी को रामजीलाल के स्थान पर 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व रेवेन्यू रिकार्ड मे रामजीलाल के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे व प्रतिवादी 1 ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त मे रूकावट ना तो स्वयं डाले ना किसी अन्य से डलावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो,रिकार्ड एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी आर्वेटरी परवर्स अपीलांट है विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के विपरीत पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैर निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट की जबाबदेही व उसके सर्मथन मे प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही किया है ना ही इस तथ्य की और गौर किया कि अपीलांट गंगदेव का पुत्र न होकर रामजीलाल का पुत्र है। तथा स्वयं वादी रूप सिह का खास भाई है। इसके अतिरिक्त जबाब दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। जो सभी अपीलांट को रामजीलाल का पुत्र होना साबित करते है। अधिनस्थ न्यायालय मे मुताबिक आदेशिका अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 3.4.25 को हिदायत पैरवी ना होना अंकित किया जिसके आधार पर नियमानुसार अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को नोटिस भेजा जाना आवश्यक था। जो आज दिवस तक प्रार्थी अपीलांट को प्राप्त नही हुआ। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा मिलीभगत करके न्यायालय को मुगालता देकर प्रकरण मे अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही बिना कोई नोटिस जारी किये कार्यवाई और अननतः दिनांक 8.4.25 को गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अमल मे लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने पेज न0 3 पर बिलकुल गलत तरीके से यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र दस्तावेजी सबूत पेश नही किये है और साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये गये है तथा उपस्थित नही होने पर दिनांक 8.4.25 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाते हुए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। उक्त निर्णय पूर्णतयाः रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये बिना अपीलांट का पक्ष सुने एक पक्षीय कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अमल मे लाते हुए डिकी पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ [illegible] द्वारा पारित निर्णय व डिकी की जानकारी अपीलांट को पूर्व मे नही थी [illegible] को हल्का पटवारी ने उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी दी। तत्पश्चात [illegible] सम्पर्क किया तब उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से एक पक्षीय निर्णय अपीलांट को बिना नोटिस दिये ही जारी किया गया है। तब अपीलांट द्वारा डिक्री व निर्णय की नकल ली गई। अधिनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर रेस्पो0 बंदी इन्द्राजात मे फेरबदल कराने पर उतारू है। यदि दौराने अपील रेस्पो0 अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो अपीलांट का अपील पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। जिसकी काफी हद तक तल्फी भी अपीलांट वहन करनी होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील मृतक व्यक्ति गंगदेव के विरूद्व पारित होने के कारण भी निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। अपीलांट द्वारा बार बार कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/प्रतिवादगण बकालतन उपस्थित हुए है एवं उनके द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। जिससे अपीलांट का उक्त कथन झूठा साबित होता है। अपीलांट ने अपील मे स्वयं स्वीकार किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जबाब देही पर गौर नही किया है। इससे अपीलांट का उक्त कथन झूठा साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य शपथ पत्र व दस्तावेजी सबूत पेश करने हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये थे परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नही करने एवं उपस्थित नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 8.4.25 को दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानो के आधार पर एवं प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त एवं मुताबिक दस्तावेजो से रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूप सिह को माना जाकर ही रामजीलाल की समस्त आराजी पर अधिकार होना मानकर ही आराजी ख0न0 4 व 11 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम आडीहूडपुरा पटवार हल्का सैगरपुरा तहसील व जिला करौली मे वादी रूपसिह पुत्र रामजीलाल हिस्सा1/2 तथा रामजीलाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीगण न0 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार विधिवत रूप से घोषित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाट अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था जिसके विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य के सर्मथन मे यह नही बताया है कि गंगदेव की मृत्यु किस दिनांक को हुई है। जबकि सत्यता यह है कि यदि दौराने दावा गंगदेव की मृत्यु हो गई थी तो उनकी तरफ से नियुक्त अधिवक्ता को इसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करानी चाहिए थी। जिससे मृतक गंगदेव के वारिसान की कार्यवाही की जा सकती। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण के अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण के प्रति सजग नही रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है जिससे उनकी कार्य प्रणाली उदासीनता की धोतक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी एवं प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का विधिपूर्वक विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारो के मध्य मुख्य विवाद रामजीलाल की आराजीयात को लेकर है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अपीलांट हरिकिशन, रामजीलाल का पुत्र है इसी प्रकार रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन है कि हरिकिशन रामजीलाल का पुत्र नही होकर गंगदेव का पुत्र है। रामजीलाल का एक मात्र वारिस रूपसिह है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा, कि दौराने दावा गंगदेव फौत हो चुका था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक के खिलाफ किया गया है। इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि गंगदेव की और से अधिनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता नियुक्त था ,यदि गंगदेव दौराने दावा फौत हो गया था तो प्रतिवादी की जिम्मेदारी थी कि इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के ध्यान मे लाया जाता है। जो उनकी अहम जिम्मेदारी थी। इस तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपने प्रकरण के सबंध मे गंभीर नही रहे है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के और से हिदायत पैरवी किये जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। यहॉ यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश करने के पश्चात हिदायत पैरवी करने पर अधिवक्ता को पक्षकारो को स्वयं को सूचित करना चाहिए। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन कानूनन मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की जाकर उसको सिद्व करने का भार वादीगण को दिया गया था। जिसके सर्मथन मे वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 पेश की है। जिसमे विवादित आराजीयात रामजीलाल पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 तथा रूपसिह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 के नाम वाके ग्राम आडीहूडपुरा पटवार हल्का सैगरपुरा तहसील करौली की खातेदारी मे दर्ज माना है। जिसके विरोध मे प्रतिवादी/अपीलाट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही की गई है। इसी प्रकार रामजीलाल का पुत्र साबित करने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली प्रदर्श 22 व प्रदर्श 23 एवं पंचायत मतदाता सूची प्रदर्श 24 एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 9.3.16 पेश किये है जिससे रूपसिह को रामजीलाल का पुत्र होना साबित माना है। इसके विरोध मे भी प्रतिवादी/अपीलाट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 5 का सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर वादी के पक्ष मे निर्णित की गई है। जिनमे वादीगण को रामजीलाल का एक मात्र वारिस माना गया है। इस प्रकार रामजीलाल की आराजीयात मे अपीलांट हरिकिशन का किसी प्रकार कोई अधिकार नही माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादी एवं [illegible] मौखिक साक्ष्यो का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। जिसमे [illegible] की कोई विधिक त्रुटि नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 9/18 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.5.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी (राजस्थान) सवाई माधोपुर

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner